राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 331/2023

धनराज —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग, पाली।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर
5. लेखाधिकारी, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.09.2023
आदेश की दिनांक : 17.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कोजाराम बाघेला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण से पारिवारिक पेंशन प्रकरण में अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती नर्बदा का नाम शामिल किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वन विभाग से सहायक वनपाल के पद से 31.12.2021 को सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है। अपीलार्थी के पारिवारिक पेंशन कुलक में पेंशन विभाग ने यह आक्षेप लगाया कि उसकी पत्नी नर्बदा एवं पुत्र बाबूलाल के आयु में मात्र 12 वर्ष का अन्तर है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी की पत्नी जन्म तिथि 01.01.1974 एवं पुत्र बाबूलाल की जन्म तिथि 15.12.1986 है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को निवेदन किया कि उसने पहले मसी उर्फ मसकी से विवाह किया था जिससे पुत्र बाबूलाल का जन्म हुआ। अपीलार्थी का मसी उर्फ मसकी से दिनांक 01.12.1989 को सामाजिक रीति रिवाज से विवाह विच्छेद हो गया। मसकी ने रीति रिवाज से अन्यत्र पुनर्विवाह (नाता) कर लिया। अपीलार्थी ने नर्बदा से रीति रिवाज (Customary ritual) से नाता विवाह कर लिया। राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति में यह रिवाज है। शपथ पत्र अनुलग्नक–2 पर है।

अतः प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी की पत्नी नर्बदा का नाम पारिवारिक पेंशन में जोडने हेतु निर्देशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पेंशन कुलक से उसकी पत्नी एवं पुत्र की उम्र में 12 वर्ष का अन्तर होने पर पेंशन विभाग ने एतराज किया। विभाग ने धनराज से स्पष्टीकरण एवं दस्तावेजात प्राप्त कर पेंशन विभाग को प्रस्तुत किये (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने पहली पत्नी से विधिक विवाह विच्छेद का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। पेंशन विभाग ने धनराज के पक्ष में PPO दिनांक 25.05.2023 को जारी किया जा चुका है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी की पूर्व पत्नी से विवाह विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत नहीं होने से राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 68 के तहत अपीलार्थी की पत्नी की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष के कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के राजकीय सेवा से सेवानिवृति पर पेंशन परिलाभ स्वीकृत किये जा चुके है। अपीलार्थी अपनी पत्नी श्रीमती नर्बदा का नाम पारिवारिक पेंशन में सम्मिलित करवाना चाहता है। अपीलार्थी वर्तमान में जीवित है और पेंशन लाभ प्राप्त कर रहा है। पेंशन विभाग द्वारा अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती नर्बदा का नाम इस आधार पर सम्मिलित करने से मना कर दिया है कि अपीलार्थी की पूर्व पत्नी से तलाकनामा या विवाह विच्छेद के संबंध में न्यायिक डिक्री प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वर्तमान पत्नी को अग्रिम रूप से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करना नियमानुसार नहीं माना है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन रहा है कि अपीलार्थी ने सामाजिक रीति रिवाज (Customary rituals) से पूर्व पत्नी से तलाकनामा (विवाह विच्छेद) कर वर्तमान पत्नी से नाता विवाह किया है इस आधार पर वह वर्तमान पत्नी श्रीमती नर्बदा का नाम पारिवारिक पेंशन में जुड़वाना चाहता है।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रूपसी उर्फ रूप सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रकरण में दिनांक 14.10.1998 में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि :–

> *In the instant case, it is not in dispute that there is custom in the community of " Nata" marriage. It is then proved by the evidence of the wife that "Nata" marriage was solemnized after performing the required ceremonies. It will have, therefore to be held that Ganga has successfully established here status of wife of the petitioner. The proceeding under Section 125, Cr. P. C. are summary in nature. The object is to provide swift and summary remedy to a neglected wife. In such proceedings, the standard of proof required for a marriage is not so high as is required in connection with the proceedings under the Indian Penal Code for the offence of bigamy.*
>
> *To conclude, it is not disputed that there is custom of "Nata" marriage in the community of the parties. It is established that the ceremonies required for a Nata marriage had been performed, and that the parties have lived together as husband and wife for 17 years. In*

such circumstances, it cannot be said that the learned Sessions Judge has committed error in granting maintenance allowance to the wife.

अपीलार्थी ने उसके समाज में नाता प्रथा प्रचलित होने एवं सक्षम न्यायालय से विधिवत विवाह विच्छेद की अनिवार्यता नही होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। अपीलार्थी वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहा है इस कारण पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के संबंध में निवेदन किया जाना समय पूर्व (Premature) है। अपीलार्थी ने अपने सेवा काल में अपनी वर्तमान पत्नी नर्बदा को पूर्व पत्नी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के संबंध में कोई निवेदन प्रत्यर्थी विभाग को किया हो इस संबंध में दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये है। पारिवारिक पेंशन हेतु नाम जोडे जाने का विषय सिविल अधिकारों से संबंधित है एवं विधिवत दस्तावेजों के अभाव में नाम जोडने के संबंध में इस अधिकरण को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में सिविल न्यायालय ही सक्षम क्षेत्राधिकार रखता है अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य